संख्या:47/2026/534/35-4-2026/35-4002(003)/11/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलिया।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 29 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-376/त्व०आ०वि०यो०/2025-26 दिनांक 18 मार्च, 2026 तथा सं0-340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353 एवं 354/त्व०आ०वि०यो०/2025-26 दिनांक 14 मार्च, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-बलिया में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रु. 3902.21 लाख (रूपये उनतालीस करोड़ दो लाख इक्कीस हजार मात्र जी०एस०टी० सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 1879.00 लाख (रुपये अट्ठारह करोड़ उनासी लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	ग्राम-बालुपूरपी०डब्लू०डी० बंधा से पिच सड़क तक पुलिया एवं लेपन निर्माण कार्य।	1800	269.32	135.00	ग्रा0अ0वि0
2	ग्राम देवरार पी०डब्लू०डी० रोड से पपलू के खेत से होते हुएचोरकैण्ड लोहटा पिच मार्ग तक नव निर्माण कार्य।	2980	170.86	82.00	ग्रा0अ0वि0
3	डेहरी चट्टी से नागपुर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1550	105.41	51.00	ग्रा0अ0वि0
4	ग्राम पंचायत बिनहा में राजकुमार गिरी के घर से दिनेश गिरी के घर तक सड़क का निर्माण कार्य।	500	45.75	22.00	ग्रा0अ0वि0
5	दुर्गीपुर मुड़ियारी मार्ग से हरी राजभर के डेरा होते हुए नहर तक सड़क का नवनिर्माण कार्य।	900	55.06	26.00	ग्रा0अ0वि0
6	बांसडीह सुखपुरा मार्ग से शिव मंदिर, हरिजन बस्ती करहिया, श्यामा प्रसाद के घर डाक्टर ओमकार नाथ सिंह, राजू सिंह के घर होते हुए पी0डब्लू0डी0 सड़क (राइस मिल तक) का नव निर्माण कार्य।	970	56.75	27.00	ग्रा0अ0वि0
7	केवराहुसैनाबाद मार्ग से अकोल्ही गांव तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	600	35.11	17.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

8	रेवतीपतरूखा मार्ग माध्यमिक विद्यालय कुंआ पीपर से काली माता मंदिर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	530	31.54	15.00	ग्रा0अ0वि0
9	बरियारपुर रूकनपुरा मार्ग से उमाशंकर पाण्डेय के दरवाजे तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	510	36.97	18.00	ग्रा0अ0वि0
10	बांसडीह सुलतानपुर मार्ग से दीवाकरपुर पाण्डेय टोला तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	990	79.4	38.00	ग्रा0अ0वि0
11	ग्राम पंचायत कुसहर में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	-	39.91	19.00	ग्रा0अ0वि0
12	ग्राम पंचायत खरौनी में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	-	39.91	19.00	ग्रा0अ0वि0
13	ग्रामपंचायत शिवपुर में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	-	39.91	19.00	ग्रा0अ0वि0
14	ग्रामपंचायत बड़सरी जगीर में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	-	39.91	19.00	ग्रा0अ0वि0
15	कुल्हडिया नई बस्ती से बिलरिया मार्ग तक रोड का निर्माण कार्य।	1820	111.71	54.00	ग्रा0अ0वि0
16	कोटवॉमें पशुपति राजभर के घर से आशुतोष उपाध्याय के डेरा होते हुए शाहपुर में जयप्रकाश सिंह के घर तक रोड का निर्माण कार्य।	1995	191.21	92.00	ग्रा0अ0वि0
17	त्रिकालपुर मेन रोड से कुर्दीपुर होते हुए चाँदपुर तक रोड का निर्माण कार्य।	1751	93.43	45.00	ग्रा0अ0वि0
18	रतसड़ एकईल पी0डब्लू0डी0 मार्ग से बहादुरपुर कारी शमशान घाट होते हुए तराजपाली तक रोड का निर्माण कार्य	2600	143.74	69.00	ग्रा0अ0वि0
19	ग्रामसभा हल्दी रामपुर में नदुला ढाला से रामपुर घाट तक रोड निर्माण कार्य।	2150	83.82	40.00	ग्रा0अ0वि0
20	ग्राम पंचायत पिपरौली रेहान के फार्म हाउस से अम्बेडकर संस्थान होते हुए पंचायत भवन के तरफ व मनोज यादव के घर तक मार्ग निर्माण कार्य।	1300	52.6	25.00	ग्रा0अ0वि0
21	ग्राम सभा बनकरा रेलवे क्रासिंग से असऊपुर राजभर बस्ती तक मार्गनिर्माण कार्य।	2250	112.98	54.00	ग्रा0अ0वि0
22	ग्राम सभा सोनबरसा में अर्जुन राजभर के घर से शमशान घाट तक।	500	24.12	12.00	ग्रा0अ0वि0
23	कोसाडीह नहर के सहकारी समिति गोदाम से अवराई कला होते हुए शंकरस्थान तक।	750	30.69	15.00	ग्रा0अ0वि0
24	खण्डवा इदलिसपुर से फतहापुर चट्टी तक।	1500	64.39	31.00	ग्रा0अ0वि0
25	मेन रोड (नगरा-बेल्थरा) से विडहरा होते हुए रामपुर चण्डेला तक।	500	17.39	8.00	ग्रा0अ0वि0
26	रामपुर कानूनगोयान पड़सरा नदौली होते हुए शाहपुर तक।	2000	85.83	41.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

27	ग्राम पंचायत पिपरौली टेकनपुरा हरिजन बस्ती से पिपरौली हरिजन बस्तीतक मार्ग नव निर्माण कार्य।	750	46.46	22.00	ग्रा0अ0वि0
28	फेफना वि०स० के वि०ख० सोहॉव के ग्राम पंचायत-सोहांव में सोहाँव रामापुर सम्पर्क मार्गका पी०सी० रोड निर्माण कार्य	680	45.55	22.00	ग्रा0अ0वि0
29	फेफना वि०स० के वि०ख० सोहांव के ग्राम पंचायत पलिया खास में चौराहासे पम्प कैनाल होते हुए सुरेन्द्र चौबे के खेत तक पेवर्स ब्लॉक रोड निर्माण कार्य	557	34.19	16.00	ग्रा0अ0वि0
30	सदर वि०स० के वि०ख० दुबहड अन्तर्गत सवरूबांध अशोक ठाकुर के दरवाजेसे पुराना शिवाला तक पेवर्स ब्लॉक	640	28.52	14.00	ग्रा0अ0वि0
31	मोतिरा से इण्टर कालेज होते हुए गोविन्दशाह मन्दिर तक मार्ग कानिर्माण कार्य।	3550	212.64	102.00	ग्रा0अ0वि0
32	बनरही बलिया गड़वार मार्ग से सुरेश प्रसाद के घर होते हुए गुरवा सिवान होते हुएधर्मपुरा पी0डब्लू0डी0 मार्ग तक।	2560	157.56	76.00	ग्रा0अ0वि0
33	बलिया गड़वार मार्ग से मिड्ढा होते हुए अलावलपुर होते हुए रजवाड़ नहर तक।	1592	98.85	47.00	ग्रा0अ0वि0
34	केवरा चट्टी के नहर मार्ग पर पुलिया से केवरा मठिया होते हुएबरियारपुर तक।	2650	109.62	53.00	ग्रा0अ0वि0
35	केवरा चट्टी के नहर मार्ग पर प्रेम प्रकाश सिंह के खेत से प्रा0 विद्यालय मठिया तक।	1270	66.18	32.00	ग्रा0अ0वि0
36	वैना अलावलपुर मार्ग से दुमदुमा गांव का सम्पर्क मार्ग।	1630	86.55	42.00	ग्रा0अ0वि0
37	पलियाखास से बेलसीपाह (रामगति के डेरा) तक मार्ग का निर्माण कार्य।	1150	62.57	30.00	ग्रा0अ0वि0
38	एन0एच0 31 सलेमपुर मार्ग से सोबन्था दलित बस्ती तक मार्ग का निर्माण कार्य।	800	41.67	20.00	ग्रा0अ0वि0
39	विकासखण्ड बैरिया के अन्तर्गत ग्राम दलपतपुर पिच सड़क लल्लन यादव के घर से कम्पोजिट विद्यालय होते हुए सबलपुर तक सम्पर्क मार्ग का इण्टरलॉकिंग कार्य	810	44.93	22.00	ग्रा0अ0वि0
40	विकास खण्ड हनुमानगंज के अन्तर्गत देवकली नहर से सुबाष वर्मा के घर के आगे तक इण्टरलॉकिंग कार्य	502	27.88	13.00	ग्रा0अ0वि0
41	विकास खण्ड गड़वार के अन्तर्गत ग्राम पियरिया में पिच सड़क से रामजी पाण्डेय के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	602	33.41	16.00	ग्रा0अ0वि0
42	विकासखण्ड मनियर के ग्राम बहेलिया में पी०डब्लू०डी० रोड से बलिराम राजभर, विरेन्द्रराजभर के घर होते हुए राजभर बस्ती के तरफ इण्टरलाकिंग कार्य का निर्माण कार्य।	800	34.93	17.00	ग्रा0अ0वि0
43	विकास खण्ड मनियर के बेरूआरबारी-मनियर पी०डब्लू०डी० रोड से ग्रामभरवलिया में बलिराम यादव, रामनरायण के घर होते हुए सुरेन्द्र यादव के घर के तरफ पीच रोड निर्माण कार्य।	1300	63.76	31.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

44	विकास खण्ड मनियर के ग्राम जिगनी के ग्राम नन्हा गंज मेंपी०डब्लू०डी० रोड, टुनटुन यादव के घर से मोती राजभर के घर होते हुए रमेश शुक्ला के ट्यूबेल के तरफ पीच रोड का निर्माण कार्य।	500	24.49	12.00	ग्रा0अ0वि0
45	ग्रामसहरोजा के चन्द्रमा यादव के घर के पास बब्बन यादव के घर होते हुए छित्तू पाली सम्पर्क मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य।	1500	106.93	51.00	ग्रा0अ0वि0
46	ग्रामपंचायत दिघार वि0ख0 बेलहरी के कटान पीडित नई दलित बस्ती में पक्की सडक कानिर्माण कार्य।	2300	136.32	65.00	ग्रा0अ0वि0
47	विकासखण्ड दुबहड़ के ग्राम सभा दिउली में दिउली मुख्य मार्ग से रामजी सिंह के घर तकमार्ग का निर्माण कार्य।	650	27.55	13.00	ग्रा0अ0वि0
48	विकास खण्ड हनुमान गंज के ग्राम सभा शंकरपुर में राजेश तिवारी केखेत से काली माता के पास तक मार्ग का निर्माण कार्य।	510	38.81	19.00	ग्रा0अ0वि0
49	विकास खण्ड बेलहरी के ग्राम सभा हल्दी भदवरिया टोला से लक्ष्मण रामके घर से बैजनाथ, श्री भगवान, नर्सिंग के घर होते हुए राम प्रवेश के आवास तकमार्ग का निर्माण कार्य।	505	33.57	16.00	ग्रा0अ0वि0
50	विकास खण्ड बेलहरी के ग्राम सभा सुल्तानपुर में श्रीराम तुरहा केघर से चितरंजन पाण्डेय के दरवाजे होते हुए मोती बढई के घर तक मार्ग का निर्माणकार्य।	700	46.72	22.00	ग्रा0अ0वि0
51	विकास खण्ड-बेलहरी के ग्राम सभा जवही डियर में हीरा कमकर के घर सेब्रम्ह बाबा के स्थान तक मार्ग का निर्माण कार्य।	800	64.17	31.00	ग्रा0अ0वि0
52	विकास खण्ड-दुबहड़ ग्राम सभा शीतल दवनी में काली मन्दिर से लेकरशेषनाथ सिंह के दरवाजे होते हुए पकड़ी तक मार्ग का निर्माण कार्य।	550	25.29	12.00	ग्रा0अ0वि0
53	विकास खण्ड दुबहड में विशुनपुरा सवरूबांध सम्पर्क मार्ग से कन्याविद्यालय व विपिन तिवारी के घर होते हुए बघौली प्रतापपुर सम्पर्क मार्ग तक मार्गका निर्माण कार्य।	600	39.46	19.00	ग्रा0अ0वि0
54	विकास खण्ड हनुमानगंज के ग्राम सभा टकरसन में टकरसन गोठवली सम्पर्कमार्ग से हरजन बस्ती तक पिच सडक निर्माण कार्य।	700	43.12	21.00	ग्रा0अ0वि0
55	विकास खण्ड दुबहड के ग्राम सभा गजियापुर में हनुमानगंज, शंकरपुरमार्ग पर मोनू मिश्रा के घर से गजियापुर प्राथमिक पाठशाला के पास बस्ती तक सडक पिच निर्माण कार्य।	550	23.54	11.00	ग्रा0अ0वि0
56	विकास खण्ड दुबहड के ग्राम सभा पीपरपाती में गुड्डू राम के दरवाजेसे संतोष के दरवाजे तक इण्टरलॉकिंग का कार्य	510	39.25	19.00	ग्रा0अ0वि0
	योग	62664	3902.21	1879.00	

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED)हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्यों पर होने वाले व्यय को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों की मद के नामे डाला जायेगा:-

- उक्त तालिका के **क्रमांक-11 से 14** पर इंगित कार्यों पर होने वाले व्यय रू. **76.00 लाख** को **लेखाशीर्षक**-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-800-अन्य व्यय-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-**0305- सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण** हेतु-24-वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।
- शेष कार्यों पर होने वाले व्यय रू. **1803.00 लाख** को लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

विकास योजना-**0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था**- 24-वृहद निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या: 47/2026/534(1)/35-4-2026/35-4002(003)/11/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/पंचायती राज विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मंडल ।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बलिया।
15- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बलिया।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।